न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 1095 / 2015 संस्थापित दिनांक 02 / 12 / 2015 फाइलिंग नं. 230303016112015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

... अभियोजन

बनाम

- 1. रामकिशन जाटव पुत्र बाबूलाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
- 2. बाबूलाल जाटव पुत्र दिलीप जाटव उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
- श्रीमती भारती पिंत रूस्तम सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी लहचूरे का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड
- 4. श्रीमती शरबती पत्नि बाबूलाल जाटव उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
- 5. विजयसिंह पुत्र बाबूलाल जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
- श्रीमती लक्ष्मी पिल्न रमेश जाटव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चिनकपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

<u>अभियुक्त</u> गण	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	(अपराध अंतर्गत धारा— ४९८ ए भा०दं०सं० एवं धारा ३ एवं ४ द०प्र०अ०)
	(राज्य द्वारा एडीपीओ– श्री प्रवीण सिकरवार)
	(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री जी एस निगम)
	<u>:- नि र्ण य -::</u>
	(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 27.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्राम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पित / नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित करने एवं फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटरसाइकिल की मांग करने एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करने हेतु भा0दं०स० की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत आरोप है।

- संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया सरस्वती के पति रामकिशन, सास शरबती, ससूर बाबूलाल, देवर विजय, ननद भारती एवं लक्ष्मी आदि मिलकर उसकी मारपीट करते थे एवं उसे मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। फरियादिया की शादी को दो वर्ष हो चुके है। आरोपीगण फरियादिया से पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपीगण फरियादिया को कम दहेज लाने का ताना देते थे। फरियादिया सरस्वती ब्लक कैंसर से पीडित है। उसके एक साल की बच्ची भी है। आरोपीगण ने फरियादिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उक्त संबंध में फरियादिया ने पूर्व में भी महिला थाना पडाव में आवेदन दिया था तो वहां पर समझौता हो गया था। फरियादिया अब कोई समझौता नहीं करना चाहती है तथा आरोपीगण के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही चाहती है। फरियादिया द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को लेखीय आवेदन दिया गया था उक्त आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध महिला थाना ग्वालियर में अ०क० ०/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था तत्पश्चात उक्त प्रकरण में क्षेत्रााधिकार थाना गोहद जिला भिण्ड को होने से उक्त प्रकरण थाना गोहद जिला भिण्ड को अंतरित किया गया था तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में आरोपीगण के विरूद्ध अ0 क0 294/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गुया था।
- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्रम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पित / नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज

देने के लिए दुष्प्रेरित किया?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया सरस्वती अ0सा01, रामसेवक अ0सा02, एस आई प्रेमलता तिवारी अ0सा03, मीरा अ0सा04 एवं एस आई एन एल शाक्य अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

🌕 <u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

- 6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी वर्ष 2012 में आरोपी रामकृष्ण उर्फ गुरजीत के साथ हुई थी। बाबूलाल उसका ससुर, शरबती उसकी सास, भारती और लक्ष्मी उसकी ननद तथा विजय उसका देवर है। शादी के बाद वह एक साल अपनी ससुराल में ठीक से रही थी। उसके बाद उसके बच्ची हुई थी तो वह बीमार हो गई थी उसकी बच्ची दो तीन दिन की थी तभी उसके सास ससूर ने उसे घर से निकाल दिया था फिर वह अपने मायके चली गई थी। मायके में उसका पति गुरजीत आया था उसके पति ने कट्टे से खुद को गोली मार ली थी फिर वह और उसके माता-पिता गुरजीत को अस्पताल लेकर गए थे गुरजीत का इलाज कराया था। उसके बाद पडाव थाने में उसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट की थें। उस रिपोर्ट में उसका समझौता हो गया था तो वह फिर से अपनी सस्राल चली गई थी फिर वह छः महि तक अपनी सस्राल में रही थी। छः माह बाद उसकी बहन ज्योति की शादी थी। तो वह अपनी बच्ची के साथ मायके आई थी। ज्योति की विदाई के बाद उसके पति ग्रजीत ने उसे सस्राल चलने के लिए कहा था फिर वह बच्ची को लेकर चला गया था उसके घरवाले थोड़ी दूर से बच्ची एवं गुरजीत को वापिस लेकर आए। फिर उसके दोनों नंदोई मायके आए थे और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे उसके एक नंदोई का नाम रमेंश है दूसरे का नाम उसे याद नहीं है। फिर उसके पति ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट कर दी थी इसके बाद उसने आरोपियों के विरूद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था। इसका आवेदन प्र0पी01 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने महिला थाना पडाव में रिपोर्ट की थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे एवं उसे मानसिक रूप से प्रताडित करते थे तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे एवं मांग पूरी न होने पर आरोपीगण उसे जान से मारने की

धमकी देते थे उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी शादी दिनांक 29.08.12 को हुई थी फिर कहा उसे शादी की दिनांक याद नहीं है उसकी बहन ज्योति की शादी उसकी शादी के लगभग तीन वर्ष बाद वर्ष 2015 में हुई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी होने के बाद और ज्योति की शादी होने तक वह अपने पिता के घर आती जाती रही थी तब तक उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि तब तक दो तीन बार घटना घट चुकी थी। आरोपीगण ने उसे वर्ष 2014 में घर से निकाल दिया था उक्त संबंध में उसने गोहद थाने में रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त रिपोर्ट की प्रति उसने प्रकरण में पेश नहीं की है। पद क0 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने कथन कर गोहद थाने में रिपोर्ट वर्ष 2014 में की थी दूसरी बार उसने पडाव थाने में रिपोर्ट की थी। पद क06 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने ज्यन न्यायालय में आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली नहीं बताई थी।
- 9. साक्षी रामसेवक अ०सा2 एवं मीरा अ०सा०४ ने भी फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी सरस्वती से दहेज की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। 10. एस आई प्रेमलता तिवारी अ०सा०३ ने प्र०पी०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं एस आई एन एल शाक्य ने विवेचना को प्रमाणित किया है। तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि शादी के बाद वह एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी। बच्ची पैदा होने के दो तीन दिन बाद ही उसके सास—ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था फिर वह मायके आ गई थी। उसका पित गुरजीत मायके आया था। वहां पर गुरजीत ने कट्टे से खुद को गोली मार ली थी फिर उसके माता—पिता ने गुरजीत का इलाज करवाया था परंतु उक्त सभी बातें फरियादिया सरस्वती अ0सा01 द्वारा अपने आवेदन प्र0प्री01 एवं रिपोर्ट प्र0पी02 में नहीं बताई गई है। फरियादिया सरस्वती अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उक्त घटना के बाद उसने पित के खिलाफ पडाव थाने ग्वालियर में रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में उसका समझौता हो गया था फिर वह ससुराल चली गई थी। फिर वह छः माह तक अपनी ससुराल में रही थी। छः माह बाद वह अपनी बहन ज्योति की शादी में मायके आई थी तो विदाई के बाद गुरजीत उसकी बच्ची को लेकर चला गया था फिर उसके घरवाले बच्ची और गुरजीत को वापिस लेकर आए थे। फिर उसके दोनों नंदोई मायके आए थे और

उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे। उसके पित ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट की थी फिर उसने आरोपीगण के विरूद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था परंतु यह बात कि ज्योति की शादी के बाद गुरजीत उसकी बच्ची को लेकर चला गया था एवं उसके दोनों नंदोई ने मायके आकर उसे ससुराल ले जाने से मना किया था। फरियादिया सरस्वती अ०सा01 द्वारा अपने आवेदन प्र0पी01 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र0पी02 में नहीं बताई गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रूपये व मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा मांग की पूर्ति न होने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे।

- इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी आरोपीगण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने वाली बात नहीं बताई गई है। फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल दहेज में लाने के लिए कहते थे। यद्यपि जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है तब उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझााव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सरस्वती अ०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई है यदि वास्तव में आरोपीगण द्वारा फरियादिया सरस्वती से पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की जाती तो यह बात फरियादिया सरस्वती द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अवश्य बताई जाती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी सरस्वती अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क०६ में यह भी बताया है कि उससे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए उसने आरोपीगण पर दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई थी। फरियादी सरस्वती अ0सा01 के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि उसने अभियोजन द्वारा पूछे जाने पर मात्र उक्त सुझाव को स्वीकार किया है। यदि वास्तव में आरोपीगण ने सरस्वती से दहेज की मांग की होती तो यह बात फरियादिया सरस्वती अपने मुख्य परीक्षण में अवश्य बताती परंत् फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 13. फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में जो तथ्य बताये हैं। उन तथ्यों का उल्लेख स्वयं फरियादिया सरस्वती के आवेदन प्र०पी०१ एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी०२ में नहीं है। फरियादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्र०पी०१ के आवेदन एवं प्र०पी०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतः भिन्न कथन किए गए हैं यह तथ्य भी फरियादिया के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है।
- 14. फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके पति ने उसके विरूद्ध गोहद थाने में रिपोर्ट की थी इसके बाद उसने आरोपीगण के विरूद्ध दहेज एक्ट

लगा दिया था। इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि फरियादिया सरस्वती ने आरोपी गुरजीत द्वारा की गई रिपोर्ट से क्षुब्ध होकर आरोपीगण के विरूद्ध दहेज मांगने की रिपोर्ट की थी। फरियादिया के उक्त कथन से भी अभियोजन घटना की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है।

- 15. फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके दोनों नंदोई ने मायके आकर उसे ससुराल ले जाने से मना किया था परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र०पी०1 के आवेदन एवं प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 के कथन भी प्र०पी०1 के आवेदन एवं प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. साक्षी रामसेवक अ०सा०२ जो कि फरियादिया सरस्वती का पिता है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसकी लड़की शादी के वक्त आठ दिन ससुराल में रही थी। इसके बाद पंद्रह दिन के लिए मायके आई थी फिर वह दो तीन महीने तक ससुराल में रही थी इसके बाद जब वह मायके आई थी तो उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात उसे बताई थी। इस प्रकार साक्षी रामसेवक अ०सा०२ के कथनानुसार आरोपीगण शादी के बाद दो तीन महीने के अंदर ही फरियादिया सरस्वती से दहेज की मांग करने लगे जबिक फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद वह एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी उसके बच्ची पैदा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी रामसेवक अ०सा०२ के कथन फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 17. साक्षी मीरा अ0सा04 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि शादी के दो वर्ष बाद तक उसकी लड़की सरस्वती ससुराल आती जाती रही थी तब तक उसकी लड़की ने उसे दहेज के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। उसकी लड़की ने उसके अलावा अन्य किसी को दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई थी जबिक साक्षी रामसेवक अ0सा02 का कहना है कि उसकी लड़की सरस्वती ने शादी के दो तीन महीने के अंदर ही उससे आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात बताई थी एवं फरियादिया सरस्वती अ0सा01 का कहना है कि वह शादी के बाद एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ0सा01 रामसेवक अ0सा02 एवं मीरा अ0सा04 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 18. यहां यह उल्लेखनीय है कि भा०दं०सं० की धारा 498ए का अपराध घर के अंदर होने वाला अपराध है। अतः उक्त अपराध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य स्वयं फरियादिया की होती है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में

प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतः भिन्न कथन किए गए हैं। फरियादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह नहीं बताया गया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि उससे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए उसने दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई। फरियादिया सरस्वती द्वारा स्वयं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई है। उक्त साक्षी ने मात्र उक्त बिंदू पर अभियोजन के सुझावों को स्वीकार किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि जब उसके पति ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट कर दी थी तब उसने आरोपीगण के विरूद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था। फरियादी के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग नहीं की गई है बल्कि फरियादिया ने उसके पति द्वारा उसके विरूद्ध की गई रिपोर्ट से क्षुब्ध होकर आरोपीगण के विरुद्ध यह अपराध पंजीबद्ध कराया है। फरियादिया सरस्वती अ०सा०१ के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 के कथन प्र0पी0 1 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभाषी रहे हैं। ऐसी स्थिति में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं एवं फरियादिया के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादिया सरस्वती से पचास हजार रूपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग की थी एवं फरियादिया को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

20 प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्राम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पित / नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की एवं फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटरसाइकिल की मांग की एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया। अतः यह न्यायालय आरोपी रामिकशन उर्फ गुरजीत बाबूलाल, श्रीमती भारती, श्रीमती शरबती, विजय उर्फ विजय सिंह एवं श्रीमती लक्ष्मी को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0दं०स० की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते

हैं।

22. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद दिनांक – 17–05–2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

ALINATA PAROLO STREETS AND ALINATED STREETS AND ALI